संख्या-18/2017/एस-3-295/दस-2017-100(43)/1989

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषय:- अतिथि सत्कार भत्ता अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या वैयक्तिक/175/2016/179, दिनांक 27-02-2017 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को उनकी संस्थान में नियुक्ति/ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1500 रू0 प्रतिमाह अतिथि सत्कार भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के "लेखा शीर्षक-2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के मानक मद -06-अन्य भत्ते" के नाम डाला जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार वत्स)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव.</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार लेखा (आडिट-1) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 / वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- अपर निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- संबंधित अधिकारी।
8- अनुभागीय गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार वत्स)
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in